UPJS010048212021

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

पीठासीन- जफ़ीर अहमद, एच०जे०एस०

JO Code No- UP06533

सत्र परीक्षण संख्या- ७३३/ २०२१

सरकार बनाम राहुल कुशवाहा आदि ।

धारा- ३०२, २०१, ५०६, ३४ भा०दं०सं०
थाना- समथर, जिला- झाँसी।
मु०अ०सं०- १०६/ २०२१

आरोप

मैं ज़फ़ीर अहमद, सत्र न्यायाधीश, झाँसी एतदद्वारा आप **राहुल कुशवाहा, हरिशंकर, श्रीमती शान्ती** एवं **श्रीमती रेखा** पर निम्न आरोप लगाता हूँ कि-

१- यह कि घटना दिनांक २६. ०६. २०२१ को समय २१. ०० बजे, स्थान आप अभियुक्तगण के मकान के पीछे स्थित खेत बहद थाना- समथर, जिला- झाँसी में आप राहुल कुशवाहा ने वादी मुकदमा वीरेन्द्र कुमार के पुत्र निखिल को प्रताप सिंह पुत्र सुगर सिंह के खेत में घसीटकर ले जाकर सिर में डण्डे से चोट पहुंचाकर हत्या कारित की। इस प्रकार आप राहुल कुशवाहा ने धारा- ३०२ भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

२- यह कि उपरोक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आप राहुल कुशवाहा, हरिशंकर, श्रीमती शान्ती एवं श्रीमती रेखा ने वादी मुकदमा वीरेन्द्र कुमार के पुत्र निखिल की हत्या कारित कर मृतक के शव को प्रताप सिंह पुत्र सुगर सिंह के खेत में फेंककर हत्या के अपराध की साक्ष्य का विलोपन किया। इस प्रकार आपलोगों ने धारा- २०१/ ३४ भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

३- यह कि उपरोक्त दिनांक, स्थान, समय पर आप राहुल कुशवाहा, हरिशंकर, श्रीमती शान्ती एवं श्रीमती रेखा ने वादी पक्ष द्वारा टोकने पर जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आपलोगों का उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा- ५०६ के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

मैं एतद द्वारा आपको निर्देश देता हूं कि उपरोक्त आरोप पर आपलोगों का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

दिनांक- ०८. १२. २०२२

(जफ़ीर अहमद)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।

अभियुक्तगण उपस्थित है, आरोप उनके अधिवक्ता की उपस्थिति में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने उक्त आरोप से इनकार किया तथा परीक्षण की याचना की।

दिनांक- ०८. १२. २०२२

(जफ़ीर अहमद)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।

Digitally signed by ZAFEER AHMAD
Date: 2022.12.08 16:15:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

UPJS010048212021

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

पीठासीन- ज़फ़ीर अहमद, एच०जे०एस०

JO Code No- UP06533

सत्र परीक्षण संख्या- ७३३/ २०२१

सरकार बनाम राहुल कुशवाहा आदि ।

धारा- ३०२, २०१, ५०६, ३४ भा०दं०सं०
थाना- समथर, जिला- झाँसी।
मु०अ०सं०- १०६/ २०२१

आदेश

दिनांक- ०८- १२- २०२२

पुकार पर अभियुक्त राहुल कुशवाहा न्यायिक अभिरक्षा में एवं अभियुक्तगण हरिशंकर , श्रीमती शान्ती एवं श्रीमती रेखा जेरे जमानत उपस्थित आयें। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उपस्थित हैं।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने मामले के कथन तथा अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए, न्यायालय को यह बताया कि वे किस साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्व मामले को सिद्व करना चाहते हैं।

अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित हैं। अभियुक्तगण की ओर से कथन किया गया है कि वे निर्दोष है, उन्हें झूँठा फँसाया गया हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य प्रथम सूचना रिपोर्ट, साक्षीगण के बयान अन्तर्गत धारा- १६१ दं०प्र०सं०, पंचायत आख्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि साक्ष्य को देखा। मेरी राय में अभियुक्त राहुल कुशवाहा के विरूद्व धारा- ३०२, २०१/ ३४, ५०६ भा०द०सं० एवं अभियुक्तगण हरिशंकर, श्रीमती शान्ती एवं श्रीमती रेखा के विरूद्व धारा- २०१/ ३४, ५०६ भा०द०सं० के अन्तर्गत आरोप लगाये जाने हेतु पर्याप्त आधार हैं।

अतः अभियुक्त राहुल कुशवाहा के विरूद्व धारा- ३०२, २०१/ ३४, ५०६ भा०द०सं० एवं अभियुक्तगण हरिशंकर, श्रीमती शान्ती एवं श्रीमती रेखा के विरूद्व धारा - २०१/ ३४, ५०६ भा०द०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाये।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक . . . . को पेश हो।

दिनांक- १३. ०९. २०२२

(जफ़ीर अहमद)
सत्र न्यायाधीश,
झाँसी।